उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 संख्या 223 /V-2/2021/66(आ0)/2017 देहरादून दिनांक ा जनवरी, 2021 भेरवरी,

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :--

उत्तराखण्ड आवास नीति (संशोधन) नियमावली, 2021

- संक्षिप्त नाम, 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आवास नीति विस्तार एवं (संशोधन) नियमावली, 2021 है। प्रारम्भ
 - (2) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
 - (3) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- 2. उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2018 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान भाग–चार के बिन्दु संख्या 17 एवं 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये बिन्दु रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ—1 विद्यमान बिन्दु

स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित बिन्दु

भाग 4 के 17. निजी निर्माणकर्ता द्वारा बिन्दु संख्या कुल निर्माण लागत में EWS 17 एवं 18 तथा LIG ईकाईयों की निर्माण का संशोधन लागत की 10 प्रतिशत राशि Performance Guarantee के रूप मे स्थानीय विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी।

17. (क) ऐसी परियोजनायें जिसमें, निजी निर्माणकर्ता द्वारा निजी भूमि में EWS आवास निर्माण किया जा रहा हो, में निजी निर्माणकर्ता द्वारा संपादन की प्रत्याभृति (Performance Guarantee) के रूप में योजना के सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र मे से, 15 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि क्षेत्रफल, जो डी०पी0आर0 में EWS आवासों के निर्माण हेतु निर्धारित भूमि क्षेत्रफल से पृथक भूमि क्षेत्रफल होगा और जो किसी भी दृष्टि से अनुपयोगी न हो, को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय विकास प्राधिकरण / उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद /स्थानीय नगर निकाय के पक्ष में, समस्त लाभार्थियों को EWS आवासों के कब्जा प्रदान किये जाने की अवधि तक, बंधक (Mortgage) रखा जायेगा तथा इस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय, निजी निर्माणकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। सम्पूर्ण EWS

आवास परियोजनाओं में परियोजना भूमि क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल बंधक (Mortgage) रखा जायेगा।

17. (ख) ऐसी परियोजनायें जिसमें निजी निर्माणकर्ता द्वारा राज्य सरकार की भूमि में EWS आवास निर्माण किया जा रहा हो, में निजी निर्माणकर्ता द्वारा EWS आवासों की प्रतिशत 10 की कुल निर्माण लागत प्रत्याभृति की संपादन धनराशि (Performance Guarantee) गारन्टी / डी०डी० / एफ०डी० आर० के रूप में स्थानीय विकास प्राधिकरण को जमा करायी जायेगी।

के नीति अन्तर्गत आवास प्रस्तावित EWSतथा LIGईकाईयों के निर्माण के स्थानीय विकास से प्राधिकरण completion certificate प्राप्त किये जाने पश्चात निजी निर्माणकर्ता को बिना ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

18. Performance Guarantee 18. निजी निर्माणकर्ता द्वारा निजी भूमि पर आवास निर्माण की परियोजनाओं में, निजी निर्माणकर्ता द्वारा EWS आवासों लाभार्थियों के पक्ष में कब्जा व रजिस्ट्री दिये जाने के प्रमाणित साक्ष्य, स्तरीय प्राधिकरण / स्थानीय विकास विकास प्राधिकरण / उत्तराखण्ड एवं विकास परिषद / स्थानीय नगर निकाय को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात. एक माह की अवधि के अन्तर्गत, बंधक भूमि क्षेत्रफल को, निजी निर्माणकर्ता के पक्ष में बंधकमुक्त कर दिया जायेगा। निजी निर्माणकर्ता द्वारा राज्य सरकार की भूमि में आवास निर्माण किये जाने वाली परियोजनाओं में संपादन की Guarantee), (Performance आवास नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित EWS ईकाईयों का निर्माण पूर्ण किये जाने तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय प्राधिकरणों से समापन प्रमाणपत्र (Completion Certificate) प्राप्त किये जाने के पश्चात, निजी निर्माणकर्ता को लौटा दी जायेगी।

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान भाग छः के बिन्दु 3-संख्या— 14 एवं 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये बिन्दु रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान बिन्दू

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित बिन्दु

बिन्दू संख्या 14 एवं 15 का संशोधन

भाग छः के 14. बिन्दु संख्या 10 के अनुसार निरस्त योजनाओं जिसमे निजी निर्माणकर्ता द्वारा राज्य सरकार की भूमि में निर्माणकार्य किया हो, में निजी निर्माणकर्ता की Performance Guarantee को स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा ज़ब्त किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति निजी निर्माणकर्ता को प्रदान नही की जायेगी। परियोजना के शेष निर्माणकार्य को स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

14. बिन्दु संख्या 12 के अनुसार निरस्त योजनाओं जिसमें निजी निर्मोणकर्ता द्वारा राज्य सरकार की भूमि में निर्माण कार्य किया गया हो, में निजी निर्माणकर्ता की संपादन की प्रत्याभूति (Performance Guarantee) को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं / उत्तराखण्ड आवास परिषद / स्थानीय नगर निकाय जब्त किया जायेगा तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा EWS आवासों के निर्माण हेत्, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय विकास प्राधिकरण / उत्तराखण्ड आवास एवं परिषद / स्थानीय नगर निकाय माध्यम से निजी निर्माणकर्ता को अनुदान के रूप में निर्गत धनराशि तथा निजी निर्माणकर्ता द्वारा लाभार्थी से किश्तों के रूप में प्राप्त कुल धनराशि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं के अनुसार मय ब्याज, राजस्व वसूली की प्रक्रिया के माध्यम से वसूला जायेगा। इस सम्बन्ध में निजी निर्माणकर्ता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नही की जायेगी। परियोजना निर्माणकार्य को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय विकास प्राधिकरण / उत्तराखण्ड आवास एवं परिषद / स्थानीय नगर निकाय द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

निरस्त योजनाओं जिसमे निजी निर्माणकर्ता द्वारा निजी भूमि पर निर्माणकर्ता निजी

15. बिन्दु संख्या 10 के अनुसार 15. बिन्दु संख्या 12 के अनुसार निरस्त योजनाओं में निजी निर्माणकर्ता बंधक (Mortgage) भूमि व उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा हो, निर्मित सम्पत्ति को जब्त करते हथे की उसका विक्रय कर जिला स्तरीय विकास

जब्त किया जायेगा तथा निजी / उत्तराखण्ड आवास ऐसी योजनाओं मे उचित निर्णय कराया जायेगा। इसके नगर प्रेषित प्राधिकरण को

Performance Guarantee को प्राधिकरण / स्थानीय विकास प्राधिकरण निर्माणकर्ता को प्रदान समस्त परिषद / स्थानीय नगर निकाय द्वारा अनुमोदन निरस्त किये जायेगें। ई०डब्ल्यू०एस० भवनों का निर्माण पूर्ण लिये जाने हेतु जिला स्तरीय ई०डब्ल्यू०एस० भवनों हेतु डी०पी०आर० विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरणों में निर्धारित भूमि एवं उस पर आंशिक को मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड बने भवन (यदि कोई हों तो) अथवा जो विकास भी निर्मित संरचना (Built Structure) किया होगी, को भी जब्त कर लिया जायेगा।

मूल नियमावली के भाग छः में बिन्दु संख्या 17 के पश्चात् बिन्दु संख्या 18 व 19 को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :--

में भाग छः संख्या बिन्द् 18 एवं 19 अन्तः का स्थापन

निजी निर्माणकर्ता द्वारा समस्त आवासों का निर्माण व निर्मित 18. आवासों का विक्रय स्वयं किया जायेगा। आवासों के आंवटन हेतु लाभार्थियों का चयन वरीयता क्रम में शहरी विकास विभाग द्वारा चिन्हित लाभार्थियों की प्रमाणित सूची के अनुसार, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय विकास प्राधिकरण / उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद / स्थानीय नगर निकाय के सहयोग व निगरानी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। चयनित लाभार्थी द्वारा यदि अपरिहार्य कारणों से आवास प्राप्ति असमर्थता / अनिच्छा व्यक्त की जाती है / अथवा उसका नाम पात्रता सूची से किसी कारणवश हटा दिया जाता है, तो इस स्थिति में प्रतीक्षा सूची में वरीयता धारित करने वाले लाभार्थी का चयन किया जा सकेगा। नगर निकाय की सीमा से बाहर प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिसूचित नियोजन / विकास क्षेत्र के भीतर आ रहे क्षेत्रों में निवासरत पात्र EWS लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जा सकेगा।

ई0डब्ल्यू०एस० आवासों के पात्र सूची के अनुसार लाभार्थियों को आवंटन किये जाने के पश्चात् यदि निजी निर्माणकर्ता द्वारा निर्मित कुल ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों में से, जितने प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 भवन शेष रह जाते हैं, तो ऐसे ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों हेतु निजी निर्माणकर्ता द्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। विज्ञापन के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं से, निजी निर्माणकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार आवश्यक दस्वावेज / प्रमाण प्राप्त किये जायेगें। आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा इस सूची का भौतिक सत्यापन करते हुये सत्यापित सूची सम्बन्धित प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित सत्यापित सूची के लाभार्थियों को, शेष आवासों का आवंटन, आवास नीति के अनुसार ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु निर्धारित दरों से किया जा सकेगा।

यदि निजी निर्माणकर्ता द्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के पश्चात् भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो इस स्थिति में लाभार्थियों को ई०डब्ल्यू०एस० आवासों के आच्छादन के पश्चात् शेष बचे ई०डब्ल्यू०एस० भवनों को निजी निर्माणकर्ता द्वारा अन्यत्र विक्रय अथवा किराया आधार पर दिया जा सकेगा। इस स्थिति में निजी निर्माणकर्ता द्वारा अन्यत्र विक्रय किये गये अथवा किराया, आधार पर दिये गये ई०डब्ल्यू०एस० भवनों में आने वाले भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क तथा विकास शुल्क का आंकलन जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा निजी निर्माणकर्ता उक्त आधार पर आंकलित भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क तथा विकास शुल्क की राशि निजी निर्माणकर्ता द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय विकास प्राधिकरण /उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद /स्थानीय नगर निकाय को लौटाई जानी होगी।

निजी निर्माणकर्ता को आंवासों के निर्माण के सापेक्ष देय अनुदान की धनराशि (केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान) उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2018 के प्राविधानों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

19. योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के अनुश्रवण व क्रियान्वयन में उत्पन्न किठनाइयों के निवारण, निजी निर्माणकर्ताओं की समस्याओं तथा आवंटित लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान हेतु अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण /स्थानीय विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसमें निजी निर्माणकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि, सबंधित विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय (तीन) आवंटी /क्रेता सदस्य होंगे। उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद के प्रकरण में उक्त समिति आयुक्त, आवास विकास परिषद की अध्यक्षता में होगी, जिसमें निजी निर्माणकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि, संबंधित परिषद का प्रतिनिधि तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय (तीन) आवंटी /क्रेता सदस्य होंगे। स्थानीय नगर निकायों के प्रकरण में निदेशक, शहरी विकास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें निजी निर्माणकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि, संबंधित स्थानीय नगर निकाय का प्रतिनिधि तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय (तीन) आवंटी /क्रेता सदस्य होंगे।

5— मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान भाग सात के बिन्दु संख्या—1, 8 व 9 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये बिन्दु रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान बिन्दु

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित बिन्दू

भाग सात 1. उत्तराखण्ड आवास नीति के 1. उत्तराखण्ड आवास नीति के के बिन्दु अन्तर्गत मॉडल 2 व 3 मे EWS तथा अन्तर्गत EWS आवासों हेतु निर्धारित संख्या 1, 8 LIG आवासों की निर्धारित दरों (रू० दर (रू० 6.00 लाख / EWS व 9 का 6.00 लाख मे एक EWS आवास तथा आवास) के अनुसार निजी संशोधन रू० 10.00 लाख मे एक LIG आवास) निर्माणकर्ता के द्वारा EWS आवासों के अनुसार निजी निर्माणकर्ता को प्रधानमंत्री आवास योजना

EWS तथा LIG आवास स्थानीय (शहरी) की शर्तों के अनुसार, विकास प्राधिकरण को हस्तगत किये जाने होगें।

चयनित व प्रमाणित लाभार्थियों को कराया जायेगा। उपलब्ध स्तरीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय प्राधिकरण / उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद / स्थानीय नगर निकाय द्वारा भारत सरकार की प्रधानंमत्री आवास योजना (शहरी) के अनुसार दिशानिर्देशों के आवासों के आंवटन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण (Super vision) जायेगा।

से सात दिवसों के भीतर 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्यपूर्ति व जिला प्राधिकरण अथवा निजी विकासकर्ता, जायेगा। जिसको भी त्रिपक्षीय अनुबन्ध मे अधिकृत किया गया हो, को भुगतान की जानी होगी।

8. लाभाथियों को आंवटन प्राप्त होने 8. लाभार्थी द्वारा EWS आवास हेतु स्तरीय विकास भुगतान तालिका के अनुसार किया

9. आवास के possession के 2 माह 9. निजी निर्माणकर्ता द्वारा 'कार्यपूर्ति की अवधि में लाभार्थी द्वारा आवश्यक व भुगतान तालिका' के अनुसार रूप से शेष धनराशि जिला स्तरीय विभिन्न चरणों में निर्माणकार्य पूर्ण विकास प्राधिकरण अथवा निजी किया जायेगा तथा जिला स्तरीय विकासकर्ता, जिसको भी त्रिपक्षीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय विकास अनुबन्ध मे अधिकृत किया गया हो, प्राधिकरण/ उत्तराखण्ड आवास एवं को भुगतान की जानी होगी।

विकास परिषद / स्थानीय निकाय व लाभार्थियों द्वारा निजी निर्माणकर्ता को निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

6— मूल नियमावली के भाग सात में बिन्दु संख्या— 9 के पश्चात् एक नये बिन्दु संख्या 9 क को निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात :--

कार्यपूर्ति व भुगतान-तालिका

भाग	निर्माण के चरण	भुगतान शर्ते	भारत सरकार / राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का प्रतिशत	लाभार्थी अंशदान का प्रतिशत लाभार्थियों के
सात में नये बिन्दु 9 क का अन्तःस्था पन	आवासों का पंजीकरण निजी निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा			द्वारा पंजीकरण शुल्क के रूप मे रू० 5000 की धनराशि, निजी निर्माणकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे लाभार्थी द्वारा भुगतान की जाने वाली अन्तिम किश्त में समायोजित किया जायेगा।
	प्लिन्थ स्तर तक निर्माण	निर्माण सम्बंधी साक्ष्यों के साथ आख्या संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण उपरांत भारत सरकार से प्रथम किस्त अवमुक्त होने पर।	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किस्त की धनराशि (वर्तमान में रू० 1.50 लाख/प्रति आवास का 40%)	
	समस्त तलों का निर्माण पूर्ण	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने, तृतीय पक्ष गुणवत्ता अनुश्रवण एजेंसी की	अवमुक्त द्वितीय किस्त की धनराशि (वर्तमान में रू० 1. 50 लाख/प्रति	लाभार्थी के अंश का 20 प्रतिशत

संतोषजनक आख्या तथा भारत सरकार से द्वितीय किस्त की प्राप्ति सुनिश्चित होने पर।

आन्तरिक कार्य जैसे विद्युत, पेयजल, सीवर व फिनीशिंग के कार्य पूर्ण तथा बाह्रय निर्माण/विकास कार्य पूर्ण

अवमुक्त धनराशि के राज्य सरकार के 90 प्रतिशत का अंशदान (वर्तमान में लाभार्थी के उपयोगिता प्रमाण पत्र रू० 1.00 लाख प्रति अंश का प्रस्तुत किये जाने के आवास) का 50% 30 प्रतिशत उपरांत

भवनों का कब्जा व रजिस्ट्री पूर्ण किये जाने पर

राशि निर्गत प्रमाण पत्र उपयोग प्राप्त किये जाने केन्द्र पश्चात, द्वितीय किश्त के रूप में कुल अवमुक्त राशि प्रतिशत राशि 40 तत्समय (अथवा प्रचलित नीति निर्देशों के अनुसार जो राशि निर्गत हो) की 50 प्रतिशत राशि,

भारत सरकार द्वारा अवमुक्त तृतीय किस्त की धनराशि (वर्तमान में रू० 1. 50 लाख/प्रति आवास का 20%) तथा राज्य सरकार के अंशदान (वर्तमान में रू० 1.00 लाख प्रति आवास) का अवशेष 50%

लाभार्थी के अंश का शेष 30 प्रतिशत जिसमे पंजीकरण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा।

नोट : प्रस्तावित भुगतान इस शर्त के अधीन निर्माणकर्ता को निर्गत किया जाय कि उनके द्वारा अनुमन्य धनराशि (केन्द्रांश / राज्यांश / लाभार्थी अंश) के सापेक्ष समतुल्य लागत का निर्माण पूर्ण किया जा चुका हो।

(शैलेश बर्गीली)

सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 223/ V-2/Awas-2021-66(Awas)/17, dated₀₁ January, 2021 for general information :

February Government of Uttarakhand **Housing Section-2**

Number 2.23U/V-2/2021/66 (Aawas) 2017

Dehradun: Date

01

January, 2021

February

The Governor, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Housing Policy Rules, 2018, namely :-

The Uttarakhand Housing Policy (Amendment) Rules, 2021

Short title, extent and commencement

- These rules may be called the "Uttarakhand (1)Housing Policy (Amendment) Rules, 2021."
- (2) These rules shall be extends to the whole of State of Uttarakhand.
- (3)It shall come into force at once.
- 2-In Uttarakhand Housing Policy Rules 2018, (hereinafter referred to as the principal rules) for the existing point number 17 and 18 of the Part IV as set out in column - 1 below, the point as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Amendment of point number

Column - 1 **Existing Point**

Column - 2 Point as hereby substituted

17 and 18 of Part IV

local authority as performance guarantee.

17. The private developer 17. (A) Such projects in which EWS houses shall made available 10% are being constructed on private land by amount of the total the private developer, as a performance construction cost of the guarantee by the private developer, 15% EWS and LIC units to the saleable land area of the entire land area of development the scheme, which shall be a land area a different from the land area earmarked for construction of EWS houses in DPR and which is also not unusable in any view, shall be mortgaged in the favour of District Development Authority/Local Development Authority/Uttarakhand Housing Development Board/ Local Municipal Body for the period of grant of possession of EWS

houses to all the beneficiaries and the entire expenditure on it shall be borne by the private developer. In entire EWS housing projects 15 percent land of Project land area shall be mortgaged.

17. (B) Such projects in which EWS houses being constructed in the Government land by the private developer, 10% amount of the total construction cost of the EWS houses shall be submitted to the Local Development Authority as a performance guarantee in the form of Bank private the bv Guarantee/DD/FDR developer.

18. The Performance Guarantee shall be returned without interest to the developer after the construction of the proposed EWS and LIG units under the Housing Policy and obtaining the completion certificate from the Local Development Authority.

18. In housing construction projects on private land by the private developer, after providing verified evidences of occupancy and registry of EWS houses in favour of beneficiaries, by the private developer to Development the Level District Authority/Local Development Authority / Uttarakhand Housing and Development Board/Local Municipal Body, mortgaged land area shall be made mortgage free in favour of developer, within a period of one month. Construction Projects to be constructed by private the developer in the State Government land, the performance guarantee, shall be returned to the private developer after completion of construction of the proposed EWS units under Housing Policy and obtaining the completion certificate from the District Development Authority/Local Development Authority.

In Principal Rules for the existing point number 14 and 15 of the Part VI point 3as set out in Column-1 below, the Point as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Amendment of point number 14 and 15 of Part VI

Column -1 **Existing Point**

according to point number 10, which in

Column -2 Point as hereby substituted

14. The projects which are 14. The projects which are subjected subjected to be cancelled to be cancelled according to point number 12, in which private developer has done construction

developer has done construction work in State Government land. the performance of guarantee the private developer shall be seized by the · local development authority and no compensation will be provided to the developer. The remaining construction work of the project shall be completed bv the local development authority.

work in State Government land, the of guarantee performance private developer shall be seized by Development Level District the Development /Local Authority Authority/ Uttarakhand Housing and Development Board/Local Municipal Body and the amount of money released by the Government of India and the State Government through Development Level District the Development Authority/Local Authority/ Uttarakhand Housing and Development Board/Local Municipal Body to the private developer as a grant for the construction of EWS amount total and the houses developer by the received installments from the beneficiaries, shall be recovered with interest through revenue recovery process in accordance to the relevant sections of the Real Estate (Regulation and Development) Act. 2016. compensation shall be provided to private developer in this regard. The remaining construction work of the project shall be completed by the **District** Development Level Authority/Local Development Authority/Uttarakhand Housing and Development Board/Local Municipal Body.

15. The projects which are subjected to be cancelled according to point number 10, in which construction work has done by private developer on private land, the performance guarantee of private developer shall be seized and all the approvals private the to developer shall be revoked. appropriate For taking decisions in such projects, the District Level Development

15. The projects which are subjected to be cancelled according to point number 12. by seizing mortgaged land of private developer and the property built on it and by selling the District it, Level Authority Development /Local Development Authority/ Housing Uttarakhand and Development Board/Local Municipal complete shall the Body construction of EWS houses. addition to this, land prescribed in the DPR for EWS

built Authority shall forward cases houses and the buildings Partially on it, (if any) or any built to the Chief Administrator structure shall be seized. Uttarakhand Housing and Urban Development Authority.

4- In Part VI of the Principal rules after point number 17, point number 18 and 19 shall be inserted as follows, namely:-

point number 18 and 19 part VI

18- All houses shall be constructed and sold by private developers Insertion of themselves. For the allocation of houses, the selection of beneficiaries shall be done in the order of preference, according to the provisions of the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) in collaboration and monitoring of the District Level Development Authority/Local Development Authority/ Uttarakhand Housing and Development Board/Local Municipal Body in accordance to the certified list of the beneficiaries identified by the Urban Development Department. If inability/unwillingness is expressed by the selected beneficiary to get house due to unavoidable reasons or his name is removed from the eligibility list for any reason, so in this case, the beneficiary holding priority in the waiting list can be selected. Eligible EWS beneficiaries residing outside the limits of the municipal body, in the areas falling within the notified planning/development area under the jurisdiction of the development authorities, can also be covered under the Pradhan Mantri Awas Yojana.

> After the allocation of EWS houses to the beneficiaries according to the eligible list, if out of the total EWS houses constructed by the private developer, as many percentage of EWS houses remain, for such EWS houses, three times advertisements will be published in the national newspapers by the private developer. Necessary documents/proofs will be obtained by the private developer from the applicants, applying through advertisement as per the eligibility criteria of the Pradhan Mantri Awas Yojana. The documents of the applicants will be sent to the District Magistrate for verification and the verified list will be made available to the concerned authority by physical verification of this list by the District Magistrate. Allotment of the remaining houses to the beneficiaries of the verified list, sent by the District Magistrate, can be done at the prescribed rates of the EWS houses as per the housing policy.

If no application is received even after the private developer has published three times advertisements in national newspapers, in this case, after saturating the EWS houses to the beneficiaries, the remaining EWS houses can be given to anyone else on sale or on rent basis. In this situation, the land use conversion fee and development fee to be incurred on EWS houses, sold by private developer to anyone or given on rent basis, will be assessed by the District Level Development Authority/ Local Development Authority and the private developer will have to deposit, the land use conversion fee and

of India and State Government for such remaining EWS houses, will this, the amount of per EWS house grant released by the Government Development Authority/ Local Development Authority. Along with development fee, assessed on the said basis to the District Level Development Board/Local Municipal Body by the private developer. Authority/Local Development Authority/ Uttarakhand Housing and also to be returned to the District Level Development

State Government) to be given to the private developer in relation to Uttarakhand Housing Policy Rules 2018. construction of houses, will be provided as per the provisions of The amount of grant (the grant received by the Central and

solutions to difficulties encountered in implementation, to solve the 19- Monitoring the progress of implementation of the Chairman, district level development authority/ local development authority, in which private developer or its representative, the problems of private developers and the grievances of the allotted (three) allottee/buyers will be the members. the concerned local municipal body and the first, second and third which private developer or its representative, the representative of third (three) allottee/buyers will be the members. In the case of local private developer or its representative, the representative of the committee will be headed by the Commissioner, Housing in which second and third (three)allottee/buyers will be the members. In the representative of the concerned development authority and the first, beneficiaries, there will be a committee under the chairmanship of the Urban Development Department or by an officer nominated by him, in municipal bodies, the said committee will be headed by the Director, Uttarakhand Housing Development Council and the first, second and Uttarakhand Housing Development Council, the said

5- In Principal Rules for the Existing point number 1, 8 and 9 of the Part VII as set out in Column-1 below, the point as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column - 1 Existing point

Amendment of point no. 1, 8 and 9 of the part VII

1. Under the Uttarakhand Housing Policy, EWS and LIG houses will have to be handed over to the Local Development Authority according to the fixed rates (Rs 6.00 lakh for EWS house for Rs 10.00 lakh for LIG houses in Model 2 and 3.

Column - 2

Point as hereby substituted

Uttarakhand Housing and Development Authority/Local Development Authority/ 1. Under the Uttarakhand Housing supervise the the private developer on prescribed rate Policy, EWS houses will be Board/Local houses. The District Level Development (Rs 6.00 lakh/EWS Pradhan Mantri Awas Yojana(Urban) by beneficiaries available to as per process of allotment of Municipal selected and verified house) for EWS the terms

EWS houses as per the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) of Government of India.

8. The beneficiary will pay the amount as per the work completion and payment schedule table for EWS house

to the beneficiaries, 10% receipt of the allotment of the amount will have to be paid to the District whichever private Authority Within the ß. 윽 Development authorized developer days of tripartite to the

agreement.

9. In the period of 2 9. (
possession of in v

months of possession of the house, the remaining amount will have to be paid by the beneficiary to the district level development authority or the private developer whichever is authorized in the tripartite agreement.

2 9. Construction work will be completed of in various stages according to the work not completion and payment schedule table by the private developer and the District to Level Development Authority/Local Development Authority /Uttarakhand thy Housing and Development Board/Local er Municipal Body and the beneficiaries will pay the determined amount to the te private developer.

6- In Part VII of Principal Rule after point no. 9 a new point no. 9A shall be inserted as follows, namely:-

Work Completion and Payment Schedule table

Construction condition **Payment** Percentage of grant Percentage of Beneficiary's

received from the

Contribution

Government of India/

State

Government

Insertion The of point registration of 9A in part houses will be VII done by the private developer himself.

in the last installment which will be adjusted fee, beneficiary. private beneficiaries available 5000, as a registration An amount <u></u> paid be developer γd ð δy ᄋᢏ made the the

```
b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          level
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Construction
                                work
                                         and
                                                   water,
construction/d
           external
                   completed and
                                                                                                                                                                                                                                                             completed
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Construction of
                                                                        Internal works
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ð
                                                             electrical,
                                        finishing
                                                   sewage
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Plinth
                                                                                                                                                                                                                                                                       floors
                                                   utilization
                                                                       After
                                                                                                                                                                              quality
                     released
                                          certificate
                                                                                             India.
                                                                                                                 from
                                                                                                                                                                                         third
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                and
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       after
           amount
                                                              submission
                                                                                                      Government of
                                                                                                                            installment
                                                                                                                                      second
                                                                                                                                               receipt
                                                                                                                                                         agency and on
                                                                                                                                                                    monitoring
                                                                                                                                                                                                 report of
                                                                                                                                                                                                                                                                         of.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       India
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    testing of the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           verification
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               authority
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          concerned
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    available to the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                will be
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           construction
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 along with the
                                                                                                                                                                                                              satisfactory
                                                                                                                                                                                                                                 amount,
                                                                                                                                                                                                                                                              certificate
                                                                                                                                                                                                                                                                                  On submission
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                release of first
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           same and after
                                                                                                                                                                                                                       receipt
                                                                                                                                                                                                                                          released
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Government of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     installment by
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        proofs
                                                                                                                                                                                                                                                                         utilization
                               of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              quality
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                made
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            report
                                                                                                                                                                                         party
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                and
                                                                                                                                                                                                    the
                                                                                                                  the
                                 the
                                                                                                                                                                                                                                                              of
                                                                                                                                                                                                                                 on
                                           of.
                                                              of
                                                                                                                                                 of
                                                                                                                                                                                                                        of.
                                                                                                                                                                                                                                                      앜
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       으
                                                                         State
                                                                                                                                                                                          1.50
                                                                                                                                                                                                  amount of Rs.
                                                                                                                                                                                                                       of India (40%
  house)
                     amount
                                 current
                                          (50% of
                                                     contribution
                                                               Government's
                                                                                                                                                                                                              of the current
                                                                                                                                                                                                                                  Government
                                                                                                                                                                                                                                            the
                                                                                                                                                                                                                                                     released
                                                                                                                                                                                                                                                               amount
                                                                                                                                                                                                                                                                         installment
                                                                                                                                                                                                                                                                                    The
            Rs1.00
                                                                                                                                                                               house).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                앜
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     house).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rs. 1.50 lakh/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          amount
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         of India (40%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           The
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    present
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Government
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          released
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     amount
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              installment
                                                                                                                                                                                                                                                                                   second
            lakh/
                                                                                                                                                                                          lakh/
                                            the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        first
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               the
                     of
                                                                                                                                                                                                                                                       δ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         by
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           of
                                                                          30%
                                                                                                                                                                                                                                                                                    20%
                                                     contribution
                                                              beneficiary
                                                                                                                                                                                                                                                                contribution
                                                                                                                                                                                                                                                                         beneficiary
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         20%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   contribution
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             beneficiary
                                                                        share
                                                                                                                                                                                                                                                                                     share
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        share
                                                                        of.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     <mark></mark>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <mark></mark>
                                                                        the
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         the
                                                                                                                                                                                                                                                                                       the
```

evelopment works completed

house Registry of the possession and Completion 으 amount, policy the released the Utilization the Centre second that amount of the After obtaining instalment by guidelines) as amount total released Certificate the prevailing according amount of 40% released ф 50% time the す 50% house) Rs 1.00 lakh/ amount of the current (Remaining the Government the share of the current of India (20% the Rs 1.50 lakh/ amount house) Government Third released installment amount State and 9 of 앜 δV

> the share

⊇.

The remaining 30% of

beneficiary's which the

will be adjusted.

registration

amount

Note - The payment proposed in Work Completion and Payment Schedule table will be construction which costs equivalent to released Beneficiary share). ö the developer, under the condition that the amount permissible they have completed the (Central/State/

(Shailesh Bagauli)
Secretary